**उत्तर प्रदेश शासन**
**नगर विकास अनुभाग–1**
**संख्या– 191 /9–1–2021–33टी.ए./19**
**लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2021**

**अधिसूचना**
**संशोधन/शुद्धिपत्र**

जिला बलिया में नगर पंचायत रतसड़ कला के गठन के संबंध में अंतिम अधिसूचना संख्या–2546/9–1–2020–33टी.ए/19, दिनांक–20.12.2020 निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी, बलिया के पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2021 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त नगर पंचायत में ग्राम शंकरपुर का उल्लेख नहीं है, जबकि जनपद स्तर पर प्रेषित प्रस्ताव के साथ संलग्न रूप पत्र 'ट' में ग्राम शंकरपुर, नगर पंचायत रतसड़ कला में शामिल है। नगर पंचायत रतसड़ कला के मानचित्र में 09 ग्राम– रतसड़ कला, रतसड़ खुर्द, शंकरपुर, टड़वा, छतवा, किरतपट्टी, सरभारी खुर्द, जिगनहरा एवं सुहवा सम्मिलित है, परन्तु नगर पंचायत, रतसड़ कला के प्रादेशिक क्षेत्र में 08 ग्रामों की सीमा के गाटे अधिसूचित हो सके हैं। ग्राम शंकरपुर के सीमावर्ती गाटे तकनीकी कारणों से अधिसूचित होने से रह गये हैं। ग्राम शंकरपुर, नगर पंचायत रतसड़ कला की सीमा के अन्दर हैं, ऐसी स्थिति में इन राजस्व ग्रामों में ग्राम पंचायत चुनाव कराया जाना व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतएव जिलाधिकारी, बलिया द्वारा उपरिवर्णित छूट गये ग्राम शंकरपुर की सीमावर्ती गाटों को नगर पंचायत, रतसड़ कला में अधिसूचित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपरोक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश संख्या–2979/9–1–2016–426सा/14, दिनांक 06.10.2016 में निर्धारित मानक के प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या–10 के अनुसार नगर पंचायत रतसड़ कला, जिला बलिया के गठन संबंधी अधिसूचना संख्या–2546/9–1–2020–33टी.ए/19, दिनांक–20.12.2020 में नगर पंचायत के सीमावर्ती गाटा संख्याओं का उल्लेख किया गया है। सीमावर्ती गाटाओं के अन्दर में पड़ने वाले समस्त गावों/राजस्व ग्रामों को नगर पंचायत का भाग माना जायेगा।

3. इस प्रकार नगर पंचायत रतसड़ कला के मानचित्र में प्रदर्शित 09 ग्राम–रतसड़ कला, रतसड़ खुर्द, शंकरपुर, टड़वा, छतवा, किरतपट्टी, सरभारी खुर्द, जिगनहरा एवं सुहवा, नगर पंचायत रतसड़ कला, जिला बलिया का भाग माना जायेगा।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव–**

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 29 जनवरी, 2021 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव–**

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
(2) जिलाधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।